सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 मैनुअल संख्या– 2

मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य–

मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं निरीक्षकों का मुख्य दायित्व अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आमोदों की नियमित जांच कर सम्बंधित नियमों, अधिनियमों एवं शासनादेश व समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही आमोदों के विरूद्ध देय मनोरंजन कर निर्धारित अवधि में राजकोष में जमा कराना भी उनके दायित्वों में सम्मिलित है। विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी आमोद या ऐसे किसी स्थान का, जहां किसी प्रकार के आमोद के संचालन की सूचना / सम्भावना हो, उसके निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। निरीक्षण के दौरान वे आमोद से सम्बंधित उपकरण इत्यादि को कब्जे में लेने के लिये अधिकृत हैं। केबिल टेलीविजन नेटवर्क(विनियमन) अधिनियम, 1955 के अधीन विहित प्राधिकारी के रूप में विभाग के समस्त अधिकारी शासन द्वारा प्राधिकृत हैं जिसके अधीन उनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है। उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन विभागीय अधिकारियों को आमोदों से प्रतिभूति की धनराशि जमा कराने व उसे वापस करने का अधिकार प्राप्त है। मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी अपने विभाग से सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

मनोंरजन कर विभाग द्वारा सिनेमा लाइसेंस, अस्थायी सिनेमा का लाइसेंस, कर देय विभिन्न कार्यक्रम, वीडियो सिनेमा का लाइसेंस, वीडियो सुविधायुक्त होटल, वीडियो सुविधा युक्त वाहन, वीडियो/सी.डी.लाइब्रेरी एवं हार्स–रेस का लाइसेंस तथा केबिल संचालकों को केबिल संचालन की अनुमति, डी0टी0एच0 सेवा प्रदाताओं को डी0टी0एच0 के संचालन की अनुमति एवं अन्य आमोदों के संचालन की अनुमति, सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृत करायी जाती है जिसके निमित्त मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके अपनी संस्तुति/आख्या प्रेषित की जाती है। मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा प्रेषित आख्या को विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षणों के उपरांत स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया जाता है। मल्टीप्लेक्स/छविगृह के स्थल अनुमोदन व निर्माण की अनुमति भी विभागीय अधिकारी/ निरीक्षक की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है। समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत अनुदान योजनाओं के अधीन अनुदान की स्वीकृति विभागीय अधिकारी/निरीक्षक की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है।

आमोदों का लाइसेंस नियमानुसार स्वीकृत करने, मल्टीप्लेक्स/छविगृहों के स्थल अनुमोदन एवं निर्माण की अनुमति देने एवं अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित है।

i. **मनोरंजन कर आयुक्तः–** उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 एवं उत्तराखण्ड चलचित्र नियमावली,,1951,के अन्तर्गत मनोरंजन कर आयुक्त को सम्पूर्ण राज्य में स्थाई, अस्थाई छविगृहों, स्थाई–अस्थाई वीडियो सिनेमा एवं वीडियो लाइब्रेरी को लाइसेंस जारी किये जाने/निलंबित किये जाने/प्रतिसंहत एवं निरस्त किये जाने का अधिकार है । उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–12 के अन्तर्गत आमोदों में कर निर्धारण किये जाने का अधिकार, धारा–14 के अन्तर्गत निरीक्षण किये जाने का अधिकार, धारा–15 में लाइसेंस निलम्बन/प्रतिसंहित किये जाने का अधिकार तथा धारा–33 के अन्तर्गत, धारा–30 में योजित किये गये वादों का अपराध शमन करने का अधिकार प्राप्त है,इसी अधिनियम की धारा–11(4)(ख) के अन्तर्गत किसी आमोद को जिसका सम्पूर्ण सकल आगम रू0 20,000.00 से अधिक होने पर उक्त आमोद को कर के भुगतान से मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, तथा उत्तराखण्ड आमोद और पणकर नियमावली,–1981 के नियम–64 के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण राज्य में अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार अधिनियम या इस नियमावली, के अधीन विहित सीमा तक और रीति से निर्देशों को जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है।

ii. **जिला मजिस्ट्रेट–** उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, उत्तराखण्ड चलचित्र नियमावली,,1951, उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं उत्तराखण्ड चलचित्र नियमावली,, 1981 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को स्थाई, अस्थाई छविगृहों, स्थाई–अस्थाई वीडियो सिनेमाओं को लाइसेंस जारी किये जाने एवं अन्य आमोदों के संचालन की अनुमति जारी करने का भी अधिकार है । इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड केबिल टी0वी0 नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली,1997 के अन्तर्गत केबिल टी0वी0 के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने तथा उत्तराखण्ड डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा (प्रदर्शन) नियमावली, 2009 के अंतर्गत डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा की अनुमति प्रदान किये जाने का भी अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है । उक्त अधिनियम एवं नियमावली, के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी आमोदों के संचालन की अनुमति प्रदान करने का भी अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभागीय निरीक्षकों एवं कर्मचारियों के माध्यम से अन्य समस्त कर देय आमोदों से भी देय मनोरंजन कर की वसूली कराई जाती है तथा उनको नियमित कराया जाता है । अवैध रूप से संचालित आमोद के स्वामियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाती है तथा आमोद के स्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने के कारण आमोद का लाइसेंस/अनुमति को निरस्त करने का अधिकार भी जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है ।

आमोद के स्वामियों द्वारा करापवचन एवं अन्य अनियमितता बरते जाने पर उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा–12 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को आमोद के स्वामियों के विरूद्ध कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का अधिकार है उक्त अर्थदण्ड की अधिकतम धनराशि रू0 20,000.00 तक है ।

उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) अधिनियम,1955 के प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिए उसी अधिनियम की धारा– 8(ए) के अन्तर्गत आमोद के स्वामी द्वारा अनियमितता के लिए अपराध शमन किये जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट को अपराध शमन शुल्क अधिरोपित किये जाने का भी अधिकार प्राप्त है, जो अधिकतम रू0 5,000.00 तक है ।

उक्त अधिनियम,1955 की धारा–6 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस प्राधिकारी होने के कारण सिनेमा एवं वीडियो सिनेमा के प्रदर्शन एवं वीडियो लाइब्रेरी का स्वयं या किसी भी अधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जॉच कराने का अधिकार है ।उक्त अधिनियम,1955 की धारा–7 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी सिनेमा का लाइसेंस निलंबित/प्रतिसंहत तथा निरस्त करने का अधिकार है।

उत्तराखण्ड चलचित्र नियमावली,, 1951 के नियम–3 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को स्थाई छविगृह के निर्माण की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है तथा नियम–9 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थाई भवन में चलचित्र प्रदर्शन हेतु एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किये जाने एवं लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर आगे भी लाइसेंस नवीनीकरण करने का अधिकार है ।

उत्तराखण्ड चलचित्र नियमावली,1951 के नियम–27 एवं 28 के अन्तर्गत अस्थाई सिनेमागृहों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है ।

iii- **सहायक मनोरंजन कर आयुक्त–** उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 तथा शासन की अधिसूचना संख्या– 746/सत्रह–वि–1–1(क)8–99 दिनांक 24.03.1999 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम, 1979 की धारा–9 में संशोधन करते हुए प्रतिभूति की धनराशि को वापस करना, कर के भावी भुगतान के प्रति समायोजन करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर सहायक आयुक्त या मनोरंजन कर अधिकारी को शक्तियॉ दी गई है ।

उत्तराखण्ड सिनेमाटोग्राफ नियमावली,,1951 के परिशिष्ट–1 के स्तंभ–7(एक) के अन्तर्गत आमोदगृहों में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, के संबंध में निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है ।

iv. **जिला मनोरंजन कर अधिकारी–**उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979, तथा शासन की अधिसूचना संख्या– 746/सत्रह–वि–1–1(क)8–99 दिनांक 24.03.1999 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम,1979 की धारा–9 में संशोधन करते हुए प्रतिभूति की धनराशि को वापस करना, कर के भावी भुगतान के प्रति समायोजन करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर मनोरंजन कर अधिकारी को शक्तियॉ दी गई है ।

उत्तराखण्ड सिनेमाटोग्राफ नियमावली,1951 के परिशिष्ट–1 के स्तंभ–7(एक) के अन्तर्गत आमोदगृहों में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, के संबंध में निरीक्षण करने अधिकार प्राप्त है ।

अ. मनोरंजन कर निरीक्षकः– उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी आमोद स्थान में जब आमोद चल रहा हो, और किसी ऐसे स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतया आमोद स्थान के रूप में या उससे सम्बन्धित अभिलेख रखने के लिये किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग किये जाने का सन्देह हो उसका निरीक्षण कर सकता है, उसकी तलासी ले सकता है का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अपने आवंटित क्षेत्र की समस्त मनोरंजन कर की वसूली एवं राजकोष में जमा कराने की जिम्मेदारी, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति एवं सर्वेक्षण कार्य, आमोदगृहों के टिकट सत्यापन का कार्य ।बिना लाईसेंस/अनुमति के कोई आमोद संचालित होने पर तथा कोई अनियमितता पकड़े जाने अथवा किसी भी अधिनियम या नियम का उल्लघंन होने पर उसकी सूचना जिला मनोरंजन कर अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के सज्ञान में लायेगें ।